भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कलावती सरन बाल चिकित्सालय में सामाजिक कार्यकर्ता के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग 0सं .ज्ञा.के का 13.10.2015 डीओपीटी के दिनांक-के अनुपालन में (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी, कलावती सरन बाल चिकित्सालय में सामाजिक कार्यकर्ता के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक भर्ती णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/ नियमों के मसौदे केप्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30, Thenkholal) (-एमएच) अनुभाग अधिकारी (baite), कमरा सं405 .ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई-मेल कर सकते हैं।

(संजय पंत)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061521-011 :

नई दिल्ली
दिनांक :

[भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड–3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, तारीख :..................... 2016

सा.का.नि. . . . . . . . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया जा चूका है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली में सामाजिक कार्यकर्ता के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल चिकित्सालय, नई दिल्ली, सामाजिक कार्यकर्ता, भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे |

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान** - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं |

**3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि** - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं |

**4. निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी |

**5. शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी |

**6. व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम | पद की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड तथा ग्रेड पे या वेतन मान | चयन पद अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सामाजिक कार्यकर्ता | 01*<br>(2016)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है । | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, गैर अननुसचिवीय | वेतन बैंड-2, 9300-34800 + ग्रेड पे 4200/- रु. | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| **भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।** | **प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।** |
|---|---|
| (10) | (11) |
| अल्पकालिक संविदा सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा | केन्द्र सरकार के ऐसे अधिकारी -<br><br>(क) (i) जो मूल केडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या<br>या<br>(ii) जिन्होंने मूल केडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200/- रु सहित ग्रेड पे 2800/- रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात ग्रेड में 06 वर्ष की सेवा की हो; और<br><br>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखता हो-<br><br>**आवश्यक-**<br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य या विज्ञान में स्नातक ।<br>(ii) चिकित्सा सामाजिक कार्य में दो वर्ष का अनुभव।<br><br>**वांछनीय-**<br><br>(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा सामाजिक कार्य में विशेषज्ञता सहित समाज शास्त्र या सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री।<br>(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य में दो वर्ष का अनुभव। |

| **यदि विभागीय प्रोन्नति सीमित है, तो उसकी संरचना** | **भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।** |
|---|---|
| (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

(ए.11018/03/2016- एम एच ।)

(संजय पंत)

अवर सचिव , भारत सरकार